न्यायालय–पारिवारिक न्यायालय एवं अपर जिला न्यायाधीश संख्या–एक, केकड़ी जिला–अजमेर.

पीठासीन अधिकारी – जयमाला पानीगर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग).

पारिवारिक प्रकरण संख्या – 04/2023.

सी.आई.एस. नंबर – 10/2023.

सी.एन.आर. नंबर – आर.जे.ए.जे.130006952023.

मोनिया पुत्री श्री रामधन धाकड़, निवासी काबरिया, तहसील केकड़ी, जिला–अजमेर (राज.).

...प्रार्थीया.

ब ना म

1. सत्यनारायण पुत्र श्री बजरंग धाकड़.
2. गणेश पुत्र श्री बजरंग.
3. ललिता पत्नी श्री गणेश.
4. काना पुत्र गणेश.

समस्त निवासीगण अजगरा, तहसील सरवाड़, जिला–अजमेर (राज.).

...अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 25 गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट.

उपस्थिति–

1. श्री अब्दुल सलीम गौरी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीया.
2. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही.

––––––

– आ दे श – **दिनांकः 27 मार्च 2026.**

01– इस आदेश के द्वारा प्रार्थीया मोनिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 25 गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट का निस्तारण किया जा रहा है।

02– प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 25 गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट दिनांक 14–07–2023 को इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी संख्या–1 के साथ वर्ष 2014 में ग्राम काबरिया तहसील केकड़ी, जिला–अजमेर में सम्पन्न हुआ था। दाम्पत्य जीवन से उसके तीन सन्तानें हैं। विवाह के

कुछ महिने बाद ही अप्रार्थी संख्या–1 के ख्यालात, रहन–सहन व तौर–तरीके इंसानियत के खिलाफ होने लगे तथा अप्रार्थी संख्या–1 प्रार्थीया के साथ बदतमीजी, बदजुबानी करने लगा, जिससे प्रार्थीया व उसकी बच्चियों का जीना दुश्वार हो गया। वह फिर भी उसकी अमानवीय हरकतों को सहन करती रही, लेकिन अप्रार्थी संख्या–1 व उनके परिवारजन बिना किसी विधिक अधिकार के जबरन लांछन लगाकर बदनाम करके तमाम सम्पत्ति व जायदाद से बेदखल करने तथा उसके बच्चों को मारने के लिए जहरयुक्त मेडिसिन दी तथा उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार किया तथा दहेज की मांग की तथा उसके मासूम बच्चों को छीनकर उसे घर से बेदखल कर दिया, जिसके संबंध में एक परिवाद अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 313 भा.दं.सं. का प्रस्तुत किया। प्रार्थीया ने तीनों बच्चों को उसे सुपुर्द करने के लिए कहा, लेकिन अप्रार्थी ने उसे बच्चे सुपुर्द नहीं किए तथा अप्रार्थी संख्य–1 बिनाकिसी कारण व बिना किसी विधिक वजह के अवयस्क बच्चों को जबरदस्ती अपने पास रखने के कारण उनके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उनकी शिक्षा–दीक्षा, लालन–पालन, आवश्यक रोजमर्रा की जरूरतों के अभाव में तीनों नाबालिग बच्चियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, जिसके कारण बच्चों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पा रहा है तथा इस उम्र के बच्चों को मां का प्यार नहीं मिल पा रहा है। अप्रार्थी एवं उसके परिवरजन ने प्रार्थीया को दिनांक 07–03–2023 को घर से बेदखल कर दिया, तबसे वह अपने पीहर में निवास कर रही है। वाद कारण दिनांक 17–03–2023 से उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र पर्याप्त न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन हैकि प्रार्थी के पक्ष में यह घोषणा की जावे कि प्रार्थीया उसके अवयस्क बच्चों की सरंक्षिका है तथा प्रार्थीया को तीनों बच्चों का भौतिक सरंक्षण भी दिया जावे तथा उसके अवयस्क बच्चों के संबंध में गार्जियनशिप प्रमाण पत्र न्यायालय द्वारा जारी किया जावे तथा अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे, प्रार्थीया को दिलाया जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीया का शपथ पत्र संलग्न है।

03– **अप्रार्थीगण** के बावजूद नोटिस तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 02–11–2023 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए।

04– अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गई।

05– प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्नांकित गवाहान को परीक्षित कराया गया–

प्रार्थी साक्षी	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण
AW-01	मोनिया	प्रार्थीया.
AW-02	रामधन	प्रार्थीया गवाह.

06– प्रार्थीया की ओर से निम्नांकित प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गई–

प्रदर्श	विवरण
प्रदर्श–1	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी में प्रस्तुत परिवाद.
प्रदर्श–2	फर्द अहकाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी.
प्रदर्श–3	फर्द अहकाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, जिसमें गणेश, सत्यनारायण, ललिता व मोनिया के बयान.

07– बहस अंतिम एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उसकी अवयस्क पुत्रियों की सरंक्षकता उसे दिलाए जाने हेतु निवेदन किया।

08– न्यायालय के समक्ष अवधारणीय बिन्दु यह है कि **''क्या प्रार्थीया नाबालिग तीन पुत्रियों प्रांजल, दीपाली व संख्या की माता है तथा उसका भौतिक सरंक्षण प्रार्थीया को दिलाया जावे ?**

09– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने से पूर्व न्यायालय सर्वप्रथम कानूनी प्रावधान का विवेचन किया जाना आवश्यक समझता है–

धारा 6– हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक सरंक्षक– हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिम सरंक्षक अप्राप्तवय के शरीर के बारे में और (अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में उसके अविभक्त हित को छोड़कर) उसकी सम्पत्ति के बारे में भी निम्नलिखित है–

(क) किसी लड़के या अविवाहिता लड़की की दशा से पिता और उसके पश्चात् माता, परन्तु जिस अप्राप्तवय ने पांच वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो, उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी,
(ख) अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहिता लड़की की दशा में माता और उसके पश्चात् पिता,
(ग) विवाहिता लड़की दशा में पति,

धारा 13– अप्राप्तवय का कल्याण सर्वोपरि होगा–
(1) न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति के किसी हिन्दू अप्राप्वय का सरंक्षक नियुक्त या घोषित किए जाने में अप्राप्तवय के कल्याण पर सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा।
(2) यदि किसी भी व्यक्ति के विषय में न्यायालय को यह राय हो कि उसके सरंक्षक होने से अप्राप्तवय का कल्याण न होगा तो वह व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर या ऐसी किसी भी विधि के आधार पर, जो हिन्दुओं में विवाहार्थ सरंक्षकता के बारे में हो, सरंक्षकता का

हकदार न होगा।

10– उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीया की ओर से आई साक्ष्य पर विचार किया जावे तो **गवाह ए.डब्ल्यू–1 मोनिया** ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अपने साक्ष्य शपथ पत्र में दोहराया तथा मुख्यतः कथन किया कि उसकी शादी अप्रार्थी संख्या–1 के साथ सन् 2014 में सम्पन्न हुई थी तथा दाम्पत्य जीवन से तीन पुत्रियां हैं तथा अप्रार्थी संख्या–1 व उसके परिवारजन का उसके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं रहा तथा उसका व उसकी बच्चियों का जीना दुश्वार कर रखा था तथा बिना कारण ही उस पर लांछन लगाकर बदनाम करके तमाम सम्पत्ति व जायदाद से बेदखल करने एवं उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के कृत्य कर रहे हैं तथा अप्रार्थीगण द्वारा उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना एवं दहेज की मांग एवं गर्भ हत्या करने के लिए उसके द्वारा परिवाद न्यायालय में पेश किया तथा दिनांक 17–03–2023 को उसे घर से निकाल दिया, जिसके कारण उसके बच्चों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पा रहा है तथा वे मातृसुख से वंचित हो रहे हैं।

11– **गवाह ए.डब्ल्यू–2 रामधन** ने साक्ष्य दी है कि उसकी पुत्री मोनिया की शादी अप्रार्थी संख्या–1 के साथ की गई थी तथा उसके तीन पुत्रियां हैं। उसकी पुत्री के ससुराल वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जिसके कारण उसका व उसकी बच्चियों का जीवन दुश्वार हो गया है। उसकी पुत्री अप्रार्थीगण के अत्याचार को सहन कर रही थी तथा उससे दहेज की मांग की गई तथा बच्चों को छीनकर उसे बेदखल कर दिया, जिसके संबंध में परिवाद न्यायालय में पेश किया था तथा उसकी पुत्री दिनांक 17–03–2023 से निरन्तर उसके साथ निवास कर रही है तथा तीनों पुत्रियों का भौतिक सरंक्षण उसकी पुत्री को दिलाया जावे।

12– प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो प्रार्थीया ने दिनांक 17–03–2023 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एफ.आई.आर. संख्या–115/2023 दर्ज कराई, जिसके संबंध में प्रार्थीया द्वारा अनुसंधान लम्बित होना बताया है। प्रार्थीया द्वारा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97, 98 दं.प्र.सं. दिनांक 09–05–2023 को प्रस्तुत किया था, जो प्रदर्श–2 है तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी की फर्द अहकाम प्रदर्श–3 है, जिसके साथ गवाह गणेश, सत्यनारायण, ललिता व मोनिया के बयान संलग्न है तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी द्वारा दिनांक 25–05–2023 को आदेश पारित किया गया कि प्रार्थीया की पुत्रियां नाबालिग हैं तथा नाबालिग को सुपुर्द करने एवं सरंक्षकता तय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, इस बाबत् प्रार्थीया सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकती है। तत्पश्चात् प्रार्थीया द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीया द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा उसके भ्रूण में पल रही सन्तान को मारने का कृत्य किया गया, लेकिन इसके संबंध में कोई चिकित्सीय दस्तावेज पेश नहीं किए गए है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अवयस्क पुत्रियों की

आयु 06 वर्ष, 03 वर्ष व डेढ़ वर्ष होना बताया है, लेकिन आयु के संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

13– धारा 13 हिन्दू अप्राप्तवय एवं सरंक्षक अधिनियम के अनुसार अप्राप्तवय का कल्याण सर्वोपरि होगा। पारिवारिक न्यायालय को बच्चों की शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक, शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण का विवाद करने वाले पक्षों में कानूनी अधिकार या दावे से उपर रखना चाहिए। न्यायालय को बच्चों की उम्र और लिंग, माता–पिता के साथ भावनात्मक जुड़ाव, बच्चों की शैक्षणिक और विकासात्मक आवश्यकताएं और इच्छाओं का मूल्यांकन करना चाहिए, यदि बच्चे अपरिपक्व हों। हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा उसकी तीनों नाबालिग पुत्रियों के संबंध में सरंक्षकता चाही गई है। प्रार्थीया द्वारा नाबालिग पुत्रियों के पालन–पोषण, शिक्षा, दीक्षा आदि के संबंध में आय का उसके पास क्या स्त्रौत है, नहीं बताया है, जबकि तीनों ही नाबालिग सन् 2023 से उनके पिता, जो कि उनका नैसर्गिक सरंक्षक है, के पास हैं। अतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

– <u>आ दे श</u> –

14– अतः **प्रार्थीया मोनिया** पुत्री श्री रामधन धाकड़, निवासी काबरिया, तहसील केकड़ी, जिला– अजमेर (राज.) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 25 गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण एकपक्षीय अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(जयमाला पानीगर)
पारिवारिक न्यायालय एवं
अपर जिला न्यायाधीश,संख्या–एक,
केकड़ी, जिला अजमेर.

15– आदेश आज दिनांक 27–03–2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

RAJENDERA NIRWAN
Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAJENDERA NIRWAN
Date: 2026.03.28 17:00:59 +0530

(जयमाला पानीगर)
पारिवारिक न्यायालय एवं
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–एक
केकड़ी, जिला अजमेर.

–––––––